तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.119/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
14.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जुआरमल पुत्र ताराराम जी माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, रामदेव चौक, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.11.2022 को फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, रामदेव चौक, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जुआरमल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Red Chilli Powder (Kishan Brand) का नमूना संख्या S-1925 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1992/Act/2022/1992 दिनांक 30.11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी आज नियत सुनवाई तिथि 28.11.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23.11.2022 को फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, रामदेव चौक, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जुआरमल से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Red Chilli Powder (Kishan Brand) के 20 पैक्ड पेकेटों (प्रत्येक 500 ग्राम) में से Red Chilli Powder (Kishan Brand) के 4 पैक्ड पैकेटो (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन ... विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Red Chilli Powder (Kishan Brand) के नमूना संख्या S-1925 ... विश्लेषक, जोधपुर को 2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.119/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1992/Act/2022/1992 दिनांक 30.11.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जुआरमल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Red Chilli Powder (Kishan Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Red Chilli Powder (Kishan Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जुआरमल पुत्र ताराराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, रामदेव चौक, वीरवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी जुआरमल पुत्र ताराराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिव शक्ति किराणा स्टोर, रामदेव चौक, वीरवाडा को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.01..2024 को पेश हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:15:16 IST
Reason: SelfAttested